



2026:AHC:6899

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19381 का 2025

संदीप सिंह

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:

दीक्षा गुप्ता, सिद्धार्थ श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता :

मुख्य शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. सुश्री सोमिया शुक्ला (एओआर ए/एस 0992/2025) रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ श्रीवास्तव के बारे में जानकारी देते हुए, एक नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने की मांग करती हैं, जिसमें दिसंबर, जो 2023 के विज्ञापन के चुनौती का विषय है।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
3. रिट याचिका को उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया जाता है।
4. आज दाखिल किए गए निर्देशों को अभिलेख पर लिया जाता है और परिशिष्ट 'ए' के रूप में चिह्नित किया जाता है

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

आदेश दिनांक: जनवरी 12, 2026

राजेश

Translated version, Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।